छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-11

रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021
(फाल्गुन 17, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष उल्लेख किया :-

सम्माननीय सदस्यगण, संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के रूप में मनाते हैं।

हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे राज्य की राज्यपाल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री भी महिला हैं, साथ ही इस विधानसभा में कुल 14 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं। मैं आप सभी सम्माननीय महिला सदस्यों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

"कोविड-19 के वैश्विक परिदृश्य में भविष्य में महिला नेतृत्व को समान अवसर प्राप्त होना," यह विषय आज के इस दिवस के लिए निर्धारित है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से निपटने हेतु शासन द्वारा किये गये विभिन्न उपायों को लागू करने में देश एवं विश्व की सभी महिलाओं ने अपनी पूर्ण सहभागिता पूरी निष्ठा से निभाई है।

इस अवसर पर मैं संत कबीर जी की पंक्तियों का उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूं कि “नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान।” इसलिए

नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आईये, इस अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम महिलाओं को पूर्ण सम्मान देंगे।

पुन: आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई।

धन्यवाद ।

2. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

समूचे विश्व में "राष्ट्रकुल दिवस" प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तदनुसार, आज सोमवार, दिनांक 08 मार्च को राष्ट्रकुल दिवस है। इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने “संबद्धता, रचनात्मकता एवं रूपांतरण : सम भविष्य का सृजन” को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है। राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 53 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जिसमें एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं के नागरिकों का समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रकुल देशों की सफलता का आधार मानवता, सद्भावना, सम्मान, परस्पर एकता, भाईचारा से ओतप्रोत समुदाय की रचना करते हुए, विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का दृढ़ संकल्प है। यही हमारे गौरवशाली अतीत, सुनहरे भविष्य, हमारी उन्नति एवं समावेशी विकास का मुख्य आधार भी है।

आईये, हम सब “संबद्धता, रचनात्मकता एवं रूपांतरण: सम भविष्य का सृजन” विषय के मूलमंत्र को मानते हुए, आज राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि राष्ट्रकुल देशों के बीच समानता, मानवीयता, संवेदनशीलता, परस्पर सहयोग, समन्वय, शांति, एकता से परिपूर्ण विकासशील समाज के निर्माण एवं विश्व बंधुत्व की भावना और वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं के शांतिपूर्वक समाधान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

3.सदन को सूचना

पत्रकारों के लिए नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि पत्रकारों के लिए विधानसभा समिति कक्ष क्रमांक एक में आज दिनांक 8 मार्च, 2021 को नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है ।

कृपया पत्रकारगण प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें ।

4. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष उल्लेख (क्रमश:)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती छन्नी चंदू साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किये।

5. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 एवं 04 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री चंदन कश्यप अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 34 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

6. अध्यक्षीय निर्देश

प्रश्नकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि एक माननीय सदस्य के प्रश्न का परिशिष्ट इतना बड़ा है और वे सदस्य आज उपस्थित भी नहीं हैं । आप लोगों को समयकाल की चिंता करनी चाहिये । प्रमुख सचिव को आदेशित किया गया कि ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत न करें ।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिये), तथा

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13, दिनांक 6 जनवरी, 2021,

पटल पर रखे ।

8. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में हो रही हत्या व आत्महत्या के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बाहर गये ।)

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रजनीश कुमार सिंह (अनुपस्थित) सदस्यों की सूचना- प्रस्तुत नहीं हुई ।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में बिना पंजीयन के निजी अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर्स संचालित होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार श्री बघेल लखेश्वर सदस्य की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-64, दुर्ग (शहर) से निर्वाचित सदस्य श्री अरुण वोरा को फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में दिनांक 3 मार्च, 2021 से दिनांक 19 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन,

(2) श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने लोक लेखा समिति के सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तिरालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां एवं इक्यावनवां

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

(2) श्रीमती ममता चन्द्राकर

14. मंत्री का वक्तव्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रदेश में हत्या/आत्महत्या की घटित घटनाओं के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

15. वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-64, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-68, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27 एवं सहकारिता से संबंधित मांग संख्या-17 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-33 पर श्रीमती इन्दू बंजारे एवं मांग संख्या-27 पर श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्रीमती इन्दू बंजारे, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे,

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35 एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या-58, प्रस्तुत की ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या-20 एवं ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-20 पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-55 एवं समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या-34, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-34 पर श्री प्रमोद कुमार सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती संगीता सिन्हा, डॉ.(श्रीमती) रेणु अजीत जोगी

श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई ।)

(5) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-80, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी) से संबंधित मांग संख्या-7, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-50 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 एवं मांग संख्या-7 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-11 प्रस्तुत की।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या-47, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-44, विज्ञान और टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या-46 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-47 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, मांग संख्या-44 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती इन्दू बंजारे, मांग संख्या-43 पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(8) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या-02, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-06, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-25, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-32, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या-71 एवं विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या-65, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-01 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी, मांग संख्या-12 पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) का पुर:स्थापन किया ।

अपराह्न 01.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा